न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आईएएस

प्रा0 पत्र सं0 03/2020 आवं.नि.14(4)

1. कल्याण पुत्र ग्यारसा
2. रायसिंह पुत्र गोपाल
3. रामकेश पुत्र गोपाल
4. ताराचंद पुत्र गोपाल
5. शांति देवी पत्नि गोपाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी बीगावास तहसील लवाण जिला दौसा

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र स्व0 आनंदा गुर्जर
2. सुमेर पुत्र स्व0 आनंदा गुर्जर
3. संतोष पुत्र स्व0 आनंदा गुर्जर
4. बच्ची बेवा स्व0 आनंदा गुर्जर

समस्त निवासी ग्राम बीगावास तहसील लवाण जिला दौसा

5. भू आवंटन सलाहकार समिति, एवं उप जिलाधिकारी दौसा जिला दौसा राज0
6. तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 9.7.1963 मिसल नंबर 189 आवंटन समिति एवं उप जिलाधिकारी दौसा बहक आनंदा पुत्र कंवर्या गुर्जर निवासी बीगावास बाबत भूमि साबिक खसरा नंबर 188/1 हाल खसरा नंबर 588 रकबा 0.31 है0 व खसरा नंबर 590 रकबा 0.61है0

उपस्थित–1. श्री राज कुमार तिवाडी, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष

निर्णय

दिनांक: 14.10.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 इस प्रकार है कि दिनांक 09.07.1963 को साबिक खसरा नंबर 188/1 में से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन ग्राम बीगावास तहसील लवाण जिला दौसा में अप्रार्थी स0 एक लगायत तीन के पिता तथा अप्रार्थी सं0 04 के पति आनंदा पुत्र कंवर्या गुर्जर को कर दिया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) के तहत प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बीगावास तहसील लवाण में स्थित भूमि खसरा नंबर 188/1 में से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि (हाल आराजी खसरा नंबर 588 रकबा 0.31है0 व खसरा नंबर 590 रकबा 0.61है0) का आवंटन सलाहकार समिति एवं उप जिलाधिकारी दौसा द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण के पिता/पति आनंदा पुत्र कंवर्या जाति गुर्जर निवासी बीगावास तहसील लवाण के नाम फोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन कर धोखे में रखकर अवैध तरीके से आवंटन कर दिया गया है, जबकि उक्त

....निरंतर 2 पर

प्रा0 पत्र सं0 03/2020 आवं.नि.14(4)

आवंटी आनंदा पुत्र कंवर्या ने एक दूसरा आवंटन आदेश दिनांक 9.7.1963 को उसी दिन मिसल संख्या 87 द्वारा आनंदा पुत्र ग्यारसा जाति गुर्जर निवासी बीगावास के नाम से साबिक खसरा नंबर 100 मिन में से 14 बिस्वा (हाल आराजी खसरा नंबर 471 रकबा 0.22है0) भूमि का आवंटन, आवंटन कमेटी को धोखे में रखकर करवा लिया अर्थात आवंटी एक व्यक्ति द्वारा अपने पिता का नाम बदलकर दो अलग–2 नामों से आवंटन कमेटी से गलत तरीके से करवा लिया जो कानूनन धोखाधडी, फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन की श्रेणी में आता है। अतः आनन्दा पुत्र कंवरया गुर्जर निवासी बीगावास तहसील लवाण के नाम दिनांक 9.7.1963 को मिसल संख्या 189 में आवंटन सलाहकार समिति एवं उप जिलाधिकारी दौसा द्वारा ग्राम बीगावास तहसील लवाण के साबिक खसरा नंबर 188/1 में से 3 बीघा 10 बिस्वा (हाल आराजी खसरा नंबर 588 रकबा 0.31है0 व खसरा नंबर 590 रकबा 0.61है0) भूमि का अवैध व विधि विरूद्ध आवंटन को निरस्त किया जावे। प्रश्नगत आवंटन आदेश कानून व नियम/उपनियम के खिलाफ व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। भूमि आवंटन की कार्यवाही मजमें आम में नहीं हुई है और उक्त आवंटन नियमानुसार आवंटन कमेटी की कोरम द्वारा पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में आवंटन अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। साबिक खसरा नंबर 188/1 में से 3 बीघा 10 बिस्वा (हाल आराजी खसरा नंबर 588 रकबा 0.31है0 व खसरा नंबर 590 रकबा 0.61है0) वाके ग्राम बीगावास पर आनन्दा पुत्र कंवरया जाति गुर्जर निवासी बीगावास का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही आवंटन आदेश दिनांक 09.17.1963 से पूर्व रहा है ना ही आवंटन के बाद आज दिनांक तक कब्जा काश्त है। उक्त भूमि आवंटन के वक्त खाली नहीं थी, और नियमानुसार खाली भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है। भूमि आवंटन कराने हेतु आवंटन का फार्म आनन्दा पुत्र कंवरया जाति गुर्जर निवासी बीगावास द्वारा भरा गया है जिसने दो अलग–2 फार्म अलग–2 नाम से भरकर दो अलग–2 भूमि का आवंटन करवाया गया है एक तो आनन्दा पुत्र कंवरया जाति गुर्जर निवासी बीगावास के नाम से तथा दूसरा आनन्दा पुत्र ग्यारसा जाति गुर्जर निवासी बीगावास के नाम से करवाया गया है, जबकि आनन्दा एक ही व्यक्ति है तथा ग्राम बीगावास में आनन्दा नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। इसलिए आवंटन समिति द्वारा किया गया उक्त आवंटन फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन होने के कारण निरस्तनीय है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गुप चुप में आवंटन किया गया है, इसकी कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई है। साथ ही आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है ना ही आवंटन की शर्तों की पालना की गई है। किसी व्यक्ति को भूमि आवंटन होने के प्रथम वर्ष में आवंटित की गई भूमि के आधे हिस्से पर एवं दूसरे वर्ष में आवंटित संपूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है। लेकिन आवंटी द्वारा आज तक भी आवंटित भूमि पर कोई काश्त नहीं की गई है। प्रार्थीगण को उक्त फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके कराये गये आवंटन की पूर्व में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। अब आनन्दा के वारिसान बनकर न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में उनवानी अपील रामसिंह बनाम कल्याण प्रस्तुत करने पर प्रार्थीगण के द्वारा रिकार्ड का तलाश करने पर जानकारी हुई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश, आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 9.7.1963 बहक आनन्दा पुत्र कंवरया जाति गुर्जर निवासी बीगावास को साबिक खसरा नंबर 188/1 में से 3 बीघा 10 बिस्वा (हाल आराजी खसरा नंबर 588 रकबा 0.31है0 व खसरा नंबर 590 रकबा 0.61है0) वाके ग्राम बीगावास तहसील लवाण का उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा किये गये विधि विरूद्ध आवंटन दिनांक 9.7.1963 को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.03.15 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि साबिक खसरा नंबर 188/1 में से 3 बीघा 10 बिस्वा (हाल आराजी खसरा नंबर 588 रकबा 0.31है0 व खसरा नंबर 590 रकबा 0.61है0) आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.07.1963 को आवंटी आनन्दा पुत्र कंवरया गुर्जर

....निरंतर 3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

निवासी बीगावास को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन में किसी प्रकार का कोई फ्रोड अथवा मिसरिप्रजेन्टेशन या धोखा करके अवैध तरीके से आवंटन किया नहीं कराया गया है। वास्तविकता में आवंटन के प्रार्थना पत्र में तत्समय फार्म भरते समय सहवन से आनंदा के पिता का नाम कंवरया दर्ज हो गया, जबकि उसके पिता का नाम ग्यारसा था। ऐसा केवल मात्र आनंदा के अनपढ होने की वजह से हुआ था, जिसे बाद में प्रार्थना पत्र देकर उसका शुद्धिकरण भी करवा लिया गया था एवं नामान्तरण गैर खातेदारी का आनन्दा पुत्र ग्यारसा के नाम से ही शुद्धिकरण हुआ। इस प्रकार कोई धोखाधडी नहीं हुई एवं जो आवंटन हुआ है वह पूर्णतया वैध तरीके से हुआ है एवं नियमों के अंतर्गत हुआ है। जहॉ तक मिसल संख्या 100 का संबंध है, तो मिसल संख्या 100 में भी आवंटन वैध तरीके से हुआ है एवं उसमें तो आनन्दा के पिता का नाम ग्यारसा ही लिखा गया है। यहॉ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सिर्फ एक लिपिकीय भूल से आनन्दा के पिता का नाम कंवरया दर्ज हो गया था। आज तक भी उक्त दोनों आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से ही आनन्दा पुत्र ग्यारसा व उसकी मृत्यु के उपरांत उसका परिवार काबिज चला आ रहा है एवं भूमि से लाभांवित होता चला आ रहा है। वर्तमान रिकार्ड में हाल खसरा नंबर 588 रकबा 0.31है. व 590 रकबा 0.61है. वैध रूप से अप्रार्थीगण व उसके पूर्व आनन्दा पुत्र ग्यारसा की खातदारी में रही है। भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता/पति आनन्दा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 9.7.1963 को पूर्णतया कोरम के समक्ष आवंटित की गई थी, किसी प्रकार की कोई गुपचुप कार्यवाही नहीं हुई थी। आवंटन के दिनांक से ही आनन्दा पुत्र ग्याररसा का उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर 188/1 हाल खसरा नंबर 588 रकबा 0.31है. व खसरा नंबर 590 रकबा 0.61है. पर कब्जा चला आ रहा है, जो आज भी लगातार है। इस भूमि पर मिन अप्रार्थीगण ने के0सी0सी0 के तहत ऋण भी प्राप्त कर रखा है व मिन अप्रार्थीगण उक्त भूमि को पूर्ण रूप से उपयोग में ले रहे है। मिन अप्रार्थीगण के पिता आनन्दा पुत्र ग्यारसा की मृत्यु हुए भी लगभग 40–42 वर्ष हो चुके है। दिनांक 9.7.1963 के आवंटन को काफी देरीना दिनांक 21.7.2020 को चुनौती दी गई है। जबकि आवंटन को चुनौती देने की मियाद मात्र 10 वर्ष है। मिन प्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन को कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। भूमि आवंटन के दिन खाली थी, एवं उस पर किसी अन्य का कब्जा नहीं था एवं उसे जो आवंटन हुआ है वह सही हुआ है तथा उक्त आवंटन को किसी भी प्रकार से निरस्त कराने का प्रार्थीगण को कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। आनन्दा पुत्र ग्यारसा अनपढ काश्तकार पेशा व्यक्ति था, पढा लिखा नहीं होने से उसने दो भूमियों का आवंटन करवाने के लिए दो प्रार्थना पत्र पेश किये गये थे, लेकिन मिसल संख्या 189 में सहवन से फार्म भरने वाले व्यक्ति ने आनंदा के पिता का नाम ग्यारसा के स्थान पर कंवरया लिख दिया जबकि कंवरया आनन्दा का बाबा लगता था जो कि ग्यारसा का बडा भाई था एवं सहवन से लिखते समय वल्दियत गलत हो गई जिसे दिनांक 13.7.1973 को गैर खातेदारी के नामान्तरण के समय शुद्ध कर दिया गया था जिसकी छाया प्रति संलग्न है। तत्समय आनंदा पुत्र ग्यारसा का कब्जा था, इस संबंध में जमाबंदी संवत 2020 से 2022 में भी आनंदा पुत्र ग्यारसा के नाम खसरा नंबर 188 व खसरा नंबर 100 की खातेदारी अंकित हो रही है, जो शुद्धिकरण होकर दर्ज हुई है व नामान्तरण सं0 83 व 84 का उल्लेख किया गया है। सहवन से ही अलग–2 नामों से आवंटन हो गये थे जो कि शुद्धिकरण के बाद दुरूस्त हो चुके है। प्रार्थीगण व उनके [illegible] पास के रहने वाले है एवं अप्रार्थीगण के परिवार के ही हैं एवं उन्हें उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी प्रारंभ से ही रही है। प्रश्नगत भूमि का आवंटन गुपचुप में नहीं हुआ था बल्कि हर खास आम की जानकारी में मजमें आम में आवंटन किया गया था व इसकी उदघोषणा भी जारी की गई थी। मिन अप्रार्थीगण व स्व0 आनन्दा पुत्र ग्यारसा ने आवंटन की शर्तो की पूर्ण रूप से पालना की गई है। भूमि आवंटन होने के प्रथम वर्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested

....निरंतर 4 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

आवंटित की गई भूमि के आधे हिस्से पर एवं दूसरे वर्ष में आवंटित संपूर्ण भूमि पर काश्त करने का तथ्य अब कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान में इस कानूनी बिन्दु को धारा 14(4) से हटा दिया गया है। आवंटन सलाहकार समिति ने भूमि का सही आवंटन किया गया है, भूमि आवंटन किये जाने में कोई अनियमितता नहीं की गई है। भूमि आवंटन के दिनांक से आज दिनांक तक आनन्दा पुत्र ग्यारसा व उसकी मृत्यु के उपरांत उसके परिवार के कब्जे में है जिसमें फसल काश्त कर लाभान्वित होते रहे है। प्रार्थीगण का यह कथन असत्य है कि उन्होनें प्रश्नगत भूमि पर कोई काश्त नहीं की है। भूमि का आवंटन विधिपूर्ण तरीके से किया गया है। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन आदेश दिनांक 9.7.1963 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है एवं उक्त आवंटन आदेश को अत्यधिक देरी से अर्थात 57 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रकरणों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अत्यधिक देरी से यदि किसी आदेश को चुनौती दी गई है तो ऐसे आदेश को कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र को पेश करने के लिए एग्रीव्ड भी नहीं है। प्रार्थीगण उक्त धारा 14(4) आवंटन नियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की बदनीयती से प्रस्तुत किया गया है। मिन अप्रार्थीगण ने नामान्तरण संख्या 108 दिनांक 26.11.2001 की एक अपील न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के यहॉ दिनांक 15.6. 2020 को पेश की गई थी एवं उक्त अपील में प्रार्थीगण को भी पक्षकार बनाया गया था। उन्हें उक्त नामान्तरण की अपील की जानकारी हो गई तो उन्होने उक्त नामान्तरण की कार्यवाही से व्यथित होकर मिन अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त 14(4) आवंटन नियम 1970 के दो प्रार्थना पत्र आवंटन के लगभग 57 वर्ष बाद अत्यधिक देरी से श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किये गये है जो मियाद बाहर भी है व कानूनन चलने योग्य नहीं है। न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में नामान्तरण की जो अपील पेश की गई है उसका उनवान रामसिंह बनाम कल्याण है व अपील संख्या 11/2020 है। उक्त नामान्तरण में रेस्पोडन्ट ने अपीलांट को उनके हक हिस्से से महरूम कर नामान्तरण दिनांक 26.11.2001 नामान्तरण संख्या 108 में से अपीलांट्स का नाम विलोपित करवा दिया था, जिसकी वजह से मिन अप्रार्थीगण अपीलांट को उक्त अपील पेश करनी पडी थी एवं उसी का बदला लेने के लिए झूंठे तथ्यों का सहारा लेकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मिन अप्रार्थीगण गरीब, मजदूर, बेसहारा काश्तकार पेशा लोग हैं। उक्त भूमि खसरा नंबर 588 व 590 ही उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है एवं प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से महरूम करना चाहते हैं एवं इसी गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 लगा04 की ओर से न्यायिक दृष्टान्तः–आरआरडी 2006 पेज नंबर 718, आरआरडी 2006 पेज नंबर 9 आरआरडी 2009 पेज नंबर 177, आरआरडी 2007 पेज नंबर 728, आरआरडी 2007 पेज नंबर 102, आरआरडी 2007 पेज नंबर 161, आरआरडी 2007 पेज नंबर 713, आरआरडी 2009 पेज नंबर 747, आरआरडी 2008 पेज नंबर 125, आरआरडी 2009 पेज नंबर 177, आरआरडी 2008 पेज नंबर 454, आरआरडी 2009 पेज नंबर 103, आरआरडी 1997 पेज नंबर 195, आरआरडी 1994 पेज नंबर 381, आरआरडी 1992 पेज नंबर 266, आरआरडी 2016 पेज नंबर 163, आरआरडी 2007 पेज नंबर 480, आ[illegible] 2007 पेज नंबर 733, आरआरडी 1996 पेज नंबर 234, आरआरडी 2006 पेज नंबर 235 [illegible] कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1[illegible] हेतु निवेदन किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 9.7. 1963 को आवंटी आनंदा के पक्ष में ग्राम बीगावास स्थित साबिक खसरा नंबर 188/1 में से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि (हाल आराजी खसरा नंबर 588 रकबा 0.31है0 व खसरा नंबर 590 रकबा 0. 61है0) का आवंटन किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 9.7.1963 को अर्थात 57

....निरंतर 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

वर्ष विलंब से चुनौती दी गई है। साथ ही तकनीकी आधार पर अथवा लिपिकीय भूल के आधार पर भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उनके द्वारा बहस में अंकित न्यायिक दृष्टातों सहित पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न मूल आवंटन आदेश दिनांक 9.7.1963 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 9.7.1963 को कोरम में साबिक खसरा नंबर 188/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा (हाल आराजी खसरा नंबर 588 रकबा 0.31है0 व खसरा नंबर 590 रकबा 0.61है0) भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन फार्म पर आवंटी आनंदा के अंगूठे का निशान अकित है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आवंटी पूर्ण रूप से निरक्षर था जिसने किसी अन्य व्यक्ति की मदद से आवंटन फार्म भरवाया गया था। जिससे प्रार्थीगण का यह कथन भी साबित नहीं होता है कि आवंटन का फार्म आनंदा द्वारा भरा गया है एवं अलग–2 फार्म अलग–2 नाम से भरकर भूमि आवंटित करवाई है। यदि आनंदा ने बल्दियत गलत दर्ज करवाकर भूमि आवंटित करवा ली थी तो तत्समय ही प्रार्थीगण को आवंटन निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। प्रार्थीगण द्वारा भूमि आवंटन के लगभग 57 वर्ष बाद आवंटन आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके अत्यधिक विलंब से प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण को भूमि आवंटन के 57 वर्ष तक भूमि आवंटन की जानकारी नहीं होना संदेहास्पद है। आनंदा द्वारा पिता का नाम कंवरया के स्थान पर ग्यारसा शुद्ध किया जाकर गैर खातेदारी के नामान्तरण संख्या 84 दिनांक 17.7.1973 को भी प्रार्थीगण ने किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। जहाँ तक प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा होना बताया है, प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत व कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है, जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि भूमि आवंटन के समय खाली नही थीं। प्रार्थीगण का उक्त कथन पूर्णतया असत्य प्रमाणित होता है। आवंटी को भूमि आवंटन होने पर गैर खातेदारी का नामान्तरण एवं तत्पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। भूमि वर्तमान में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अतः उपरोक्त तथ्यों, कानूनी नजीरों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण के पति/पिता आनन्दा को किया गया आवंटन विधिवत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0 पत्र 14 (4) खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) खारिज किया जाता है। अप्रार्थी आनंदा के पक्ष में किया गया प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 09.07.1963 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:55:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 14 [illegible] लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा